


क्रमांक :- राजस्व/2021/76

दिनांक :- 17/02/21

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषय:- प्रकरण संख्या 16/2021 अनवान कुलराज सिंह उर्फ कुलजीत सिंह बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2021 के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2021 के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 14 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 5/5 व 4/2 में कुलजीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह के स्थान पर कुलराज सिंह पुत्र हरदीप सिंह व खाता संख्या 12/13 व 41/5 में तिरलोचन कौर पत्नि कुलजीत सिंह के स्थान पर तिरलोचन कौर पत्नि कुलराज सिंह तथा खाता संख्या 32/32 में विरेन्द्रजीत सिंह पुत्र कुलजीत सिंह के स्थान पर विरेन्द्रजीत सिंह पुत्र कुलराज सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।



{लाखाराम आर.ए.एस}

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

